(b) if so, what is the position of availability of bricks; and

(c) what action has been taken to ease the situation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) Yes.

(b) The scarcity of slack coal, along with other factors, has given rise to shortage of supply of bricks in the Capital. The prices of bricks have also gone up from about Rs. 35 per thousand in October-November, 1960 to Rs. 45 per thousand in April, 1961.

(c) Steps have been taken to bring more slack coal into Delhi and also to tighten up the distribution control of slack coal so that the brick kilns which are actually working and are in genuine need of slack coal get allotment as the supply position improves.

Writ petitions by Government Employees in Kerala

4549. Shri V. Eacharan: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of writ petitions filed by the Kerala State Government employees in the High Court for their seniority and promotions under the State Reorganisation Act since 1956 to March, 1961; and

(b) how many of them have been decided and how many are pending for decision at present?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मंत्रियों आदि को भत्ता

४५५०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या गृह कार्य मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों को १९५९–६० में कितना-कितना भत्ता वेतन के अतिरिक्त दिया गया; और

(ख) भविष्य में इस प्रकारके व्यय को कम करने के सम्बन्ध में क्या कोई योजना बनाई गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ७६]

(ख) कोई योजना बनाना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि व्यय को कम से कम कर दिया गया है ।

फार्मों का हिन्दी में छापा जाना

४५५१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री बलराज सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न कार्यालयों के जिन फार्मों का नियमों अथवा नियम संहिताओं के साथ हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है क्या उनको हिन्दी में छपवाने का कोई निश्चित टाइम-टेबल बना लिया गया है और क्या उस टाइमटेबल के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश सभी मंत्रालयों को दे दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): यह प्रयत्न किया जा रहा है कि १९६३ तक सभी महत्वपूर्ण नियमों तथा संहिताओं का हिन्दी अनुवाद तैयार हो जाये । इन नियमों तथा संहिताओं का जैसे-जैसे हिन्दी अनुवाद तैयार होगा, वैसे-ही इनमें विहित फार्मों को हिन्दी में छपाने का प्रबन्ध किया जाएगा ।